**** भूमिका ****

जयादित्य और वामन ने सम्मिलित रूप से अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखी है । यह काशिका नाम से प्रसिद्ध है । भाषावृत्ति की व्याख्या में सृष्टिधराचार्य ने काशिका का अर्थ किया है - ' काशयति प्रकाशयति सूत्रार्थमिति काशिका ' अर्थात् जो सूत्रों का अर्थ प्रकाशित या स्पष्ट करती है, वह काशिका कहलाती है । कुछ विद्वानों के अनुसार सम्भवतः काशी में लिखी जाने के कारण इसका नाम काशिका पड़ा है ।[1] डॉ0 रघुवीर वेदालंकार का विचार है कि काशिका नाम देश पर आधारित नहीं है, अपितु यह गूढ सूत्रार्थों को प्रकाशित करने वाली है, अतः इसे काशिका नाम दिया गया है, और यही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । काशिकावृत्ति की अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण इस पर अनेक टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक है । काशिकावृत्ति की टीकाओं में आचार्य जिनेन्द्रबुद्धि कृत ' काशिकाविवरणपंजिका या न्यास तथा आचार्य हरदतमिश्रकृत पदमञ्जरी टीकाएं विशेष ख्यातिप्राप्त हैं ।

काशिकावृत्ति का षष्ठाध्याय एवं पदकृत्य प्रकरण -

अष्टाध्यायी एवं काशिका का षष्ठाध्याय पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में अपना विशेष स्थान रखता है । इस शोध - प्रबन्ध में काशिकावृत्ति के षष्ठाध्यायस्थ पदकृत्यों के विवेचन का प्रयोजन काशिकावृत्ति के व्याख्याकार जिनेन्द्रबुद्धि तथा हरदत्त मिश्र एवं महाभाष्यकार, कौमुदीकार के मतों व

---

1. काशिका देशतोऽभिधानम्, काशीषु भवा ।(काशिका के टीकाकार हरदत्त मिश्र तथा रामदेव मिश्र)

तुलना करते हुए काशिकावृत्ति के कर्त्ता जयादित्य और वामन की पदकृत्य शैली की समीक्षा करना है । मेरा अपना यह षष्ठाध्यायस्थ पदकृत्यों का शोधकार्य इस दृष्टि से सर्वथा मौलिक है कि इस कार्य में काशिकाकार की पदकृत्य शैली को पूर्णतः समालोचित किया गया है । यद्यपि इस शोधकार्य का विषय केवल षष्ठाध्याय के पदकृत्यों से ही सम्बद्ध है तथापि स्थालीपुलाकन्याय से निर्दिष्ट अध्याय के पदकृत्यों का समालोचन काशिकाकार की पदकृत्य-शैली को समझने के लिए पर्याप्त समझा गया है ।

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि इस शोधकार्य के लिए काशिकावृत्ति के षष्ठाध्याय का ही चयन क्यों किया गया ? इस सन्दर्भ में शोधार्थी का यही कथन है कि सम्पूर्ण काशिका के पदकृत्यों का अध्ययन अत्यन्त विस्तृत कार्य है, अतः इसके लिए मुझे किसी एक अथवा दो अध्यायों का ही चयन करना था । अतः मैनें अपनी रूचि के अनुसार सन्धि, प्रकृतिभाव, दीर्घ, ह्रस्व तथा स्वर जैसे महत्त्वपूर्ण प्रकरणों से सम्पन्न षष्ठाध्याय को इस शोधकार्य का विषय बनाया है । षष्ठाध्याय के जिन मुख्य प्रकरणों को शोधरूप दिया गया है, वे निम्न हैं -

द्विर्वचन प्रकरण, सम्प्रसारण प्रकरण, आत्व प्रकरण, लोप प्रकरण, सन्धि प्रकरण, एकादेश प्रकरण, प्रकृतिभाव प्रकरण, सुट् प्रकरण, स्वर प्रकरण, अलुक्-समास प्रकरण, पुंवद्भाव प्रकरण, उदादेश प्रकरण, ह्रस्व प्रकरण, मुमागम प्रकरण, सभाव प्रकरण, दीर्घ प्रकरण, अड्.गाधिकार प्रकरण, आर्द्धधातुक प्रकरण, सार्वधातुक प्रकरण, एत्वादिविधि प्रकरण तथा प्रकृतिभाव प्रकरण ।

षष्ठाध्याय में कुल 728 सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या में काशिकाकार ने सूत्र अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वार्त्तिक गणपाठ एवं कारिका आदि प्रदर्शित करके सूत्र की अविकल व्याख्या प्रस्तुत की है ।

शोध-प्रबन्ध का प्रतिपाद्य विषय - पदकृत्य

इस शोध - प्रबन्ध का प्रतिपाद्य विषय काशिकावृत्ति को आधार बनाकर काशिकावृत्ति षष्ठाध्यायस्थ पदकृत्यों का विवेचनात्मक अध्ययन करना है । पदकृत्यों के विवेचन के सन्दर्भ में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि पद किसे कहते हैं ?

'नापदं प्रयुञ्जीत' इस उक्ति के अनुसार भाषा अथवा वाक्य में पदों का ही प्रयोग साधु है । इसलिए व्याकरणशास्त्र का प्रमुख कार्य पद विश्लेषण करना अथवा पदों की व्याकृति करना है । यद्यपि पद और उनका विभाग काल्पनिक है, तथापि व्याकरण उस काल्पनिक विभाग से

वास्तविक तथ्य को समझाता है ।[1] अतः अर्थ के आधार पर पदों में प्रकृति - प्रत्यय विभाग की कल्पना की जाती है, परन्तु केवल प्रकृति या प्रत्यय को ही पद नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा में उनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता ।

अतः सार्थक पदों का समूह वाक्य है ।[2] पद का ' शब्द ' नाम से भी अभिधान किया गया है । इस शब्द के दो रूप हैं - स्फोटरूप शब्द तथा ध्वनि रूप शब्द ।

शब्दरूप में स्फोट का प्रथम उल्लेख किसी श्लोकवार्तिककार ने किया है ।[3] आचार्य पतञ्जलि ने सार्थक ध्वनि को शब्द माना है ।[4] मीमांसकों के अनुसार वर्ण तथा वर्णसंघात ही पद है ।[5] आचार्य उपवर्ष [6] तथा संग्रहकार को भी यही पक्ष मान्य है ।

गोकुलनाथ उपाध्याय के अनुसार पूर्ववर्ण से परे उच्चारित वर्ण के मध्य चार - पाचं क्षण का व्यवधान रहने पर भी वह वर्णसमूह ' पद ' कहलाता है ।[7] आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अनन्वित, एकार्थबोधक, तथा प्रयोगयोग्य वर्ण ही पदसंज्ञक है ।[8] वैयाकरणों में आचार्य पाणिनि के अनुसार ' सुबन्तरूप ' तथा ' तिङन्तरूप ' ही ' पद ' कहलाता है ।[9]

इस प्रकार पद को समझने के पश्चात् सामान्यरूप से पदकृत्य को भी समझना आवश्यक है ।

---

1. उपायाः शिक्षमाणानां बालानामपलापनाः ।
   असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ।। वा0 पद0 , 2.138
2. पदसमूहो वाक्यमर्थ समाप्तौ, न्या0 सू0 वा0 भा0 1.55
3. स्फोटः शब्दो ध्वनिस्तस्य व्यायाम उपजायते, वा0 प0 हरिवृत्ति , 1.22
4. प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते, म0 भा0 प्र0 आ0
5. क - अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यत् पदं नामेति, शाबरभाष्य, मी0 सू0, 1.55
   ख - तस्मादक्षराण्येव पदम् - वही पृ0 39
6. वर्णा एवं तु शब्दः इति भगवानुपवर्षः, ब्र0 सू0 शां0 भा0 , 1.3.28
7. वर्णसंघातजं पदम् (संग्रहकार सं0 न्या0 द0 , पृ0 338)
8. वर्णाः पदं प्रयोगार्हान्निन्वितैकार्थबोधकाः , सा0 द0 , 2.2.
9. सुप्तिङन्तं पदम् , पा0 अ0 1.4.4

इस प्रकार विद्वानों ने नानाविध लक्षण एवं युक्तियों से ' पद ' का विवेचन एवं विश्लेषण किया है । सामान्यतया ' पदरचना से सम्बन्धित कृत्य ही पदकृत्य कहलाता है । ' अर्थात् सूत्रविशेष को किस अभिप्राय से रखा गया है ? अगर पदविशेष को सूत्र में ग्रहण नहीं करते, तो भाषा पर इसका क्या प्रभाव होता ? महाभाष्यकार, न्यासकार, पदमञ्जरीकार तथा सिद्धान्तकौमुदीकार का इस पदविशेष के विषय में क्या मत है ? इस प्रकार का विशद विवेचन करना पदकृत्य के अन्तर्गत आता है । काशिकावृत्ति के षष्ठाध्यायस्थ सूत्रों के विशेष - विशेष पदों का विवेचनात्मक अध्ययन करना ही हमारा प्रतिपाद्य विषय है ।

पदकृत्य विवेचन के सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि न्यासकार, काशिकाकार के प्रबलतम समर्थक हैं, लेकिन जिन शङ्काओं की तरफ काशिकाकार इत्यादि किसी भी ध्यान नहीं गया, न्यायकार की लेखनी से वे बच नहीं पायी । एक उदाहरण देखिए -

' प्रकृत्या न्तः पादमव्यपरे ' (6.1.115) सूत्र पर काशिकाकार का कहना है कि ' पादेन शब्देन च ऋक्पादस्यैव ग्रहणमिष्यते , न तु श्लोकपादस्य ' परन्तु पाद शब्द से यहां सामान्य पाद का ग्रहण न कर ऋग्वेद के ही पद का ग्रहण क्यों किया जाये ? इस शङ्का का समाधान भाष्य या अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता । इसका समाधान सर्वप्रथम केवल न्यास में ही पाया जाता है । न्यासकार यहाँ लिखते हैं -

' कथं पुनर्ऋक्पादस्यैव ग्रहणं लभ्यते, यावता पादशब्दः सामान्यवाची एवं मन्यते - वा च्छन्दसि इत्यतः छन्दो ग्रहणमिह मण्डुकप्लुतिन्यायेनानुवर्तते, तेन ऋक्पादस्यैव ग्रहणं विज्ञायते । अथ । अथ 'सर्वत्र विभाषा गोः ' इत्यतः सूत्रात् प्राक् छन्दस्येव कार्यं विज्ञायते । एवं हि तत्र सर्वत्र ग्रहणमर्थवद् भवति यदि च्छन्दसि पूर्वं विधानं भवति ।' (न्यास 6.1.115)

न्यासकार के इस समाधान को उतरवर्ती सब मूर्द्धन्य वैयाकरणों ने मुक्तकण्ठ से अपनाया है । इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए -

' ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु ' (6.3.85) इस सूत्र पर सज्योतिः, सजनपदः, सरात्रिः, सनाभिः, सनामा आदि उदाहरण काशिका में दिये गये हैं । इन उदाहरणों में बहुव्रीहि और तत्पुरूष दोनों प्रकार के समास समझने चाहिएं - यह बात सर्वप्रथम न्यासकार ने ही बतलायी है । भाष्य इत्यादि में इसका कोई संकेत नहीं पाया जाता । तद्यथा -

' समानं ज्योतिरस्येति बहुव्रीहिः । सजनपदादयोऽपि वेदितव्याः । तत्पुरूषोऽपि भवितव्यमेव, विशोषानुपादानात् । ' (न्यास 6.3.85)

विषयसामग्री के आधार पर सम्पूर्ण शोध - प्रबन्ध को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं -

प्रथम अध्याय में पदकृत्य की परिभाषा, परम्परा एवं महत्व पर विशद प्रकाश ड़ालते हुए संस्कृत व्याकरणशास्त्र की सूत्रशैली, महाभाष्य का रचनात्मक स्वरूप, काशिका की रचना शैली तथं सिद्धान्तकौमुदी की शैली को समालोचित किया गया है ।

द्वितीय अध्याय में द्विर्वचन प्रकरण, सम्प्रसारण प्रकरण, आत्व प्रकरण, लोप प्रकरण, सन्धि प्रकरण एवं एकादेश प्रकरण के अर्न्तगत आये पदकृत्यों के विषय में काशिकाकार, न्यासकार, पदमञ्जरीकार एवं महाभाष्यकार के मतों को विवेचनात्मक अध्ययन किया गयी है ।

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत प्रकृतिभाव प्रकरण, सुट् प्रकरण तथा षष्ठाध्यायस्थ प्रथम पाद के अन्तिम तक वर्णित स्वरप्रकरणान्तर्गत आये पदकृत्यों पर काशिकाकार, न्यासकार इत्यादि सभी के विचारों को अवगत कराकर सूक्ष्म दृष्टि से अनका समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है ।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत ।।4 पदकृत्यों के द्वारा स्वर प्रकरण का ही विवेचन किया गया है, तथा न्यासकार इत्यादि के मत एवं उनकी शैली का भी तुलनात्मक अध्ययन पदकृत्यों के माध्यम से किया गया है ।

पंचम अध्याय में अलुक्समासप्रकरण पुंवद्भाव प्रकरण, उदादेश प्रकरण, तथा ह्रस्व प्रकरण के अन्तर्गत आये 27 पदकृत्यों का सूक्ष्मदृष्टि से विवेचन किया गया है ।

षष्ठ अध्याय में मुमागम प्रकरण, सभाव प्रकरण, दीर्घ प्रकरण के आधार पर तीनों प्रकरणों के 3। पदकृत्यों का वैयाकरणों के मतानुसार समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है ।

सप्तम् अध्याय में अंगाधिकार प्रकरण, दीर्घ प्रकरण तथा आर्द्धधातुक प्रकरणों का ही विधिवत् विवेचन किया गया है ।

अष्टम् अध्याय का तुलनात्मक अध्ययन सार्वधातुक प्रकरण, एत्वादिविधि प्रकरण तथा प्रकृतिभाव प्रकरण जैसे विषयों के अनुरूप है।

अन्त में उपसंहार में सम्पूर्ण शोध - प्रबन्ध में वर्णित सामग्री को साररूप में प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध में पदकृत्य की परम्परा, परिभाषा, महत्व, कार्य तथा अलग - अलग प्रकरणों में भाषा पर लक्षित होने वाले पदकृत्य के प्रभावों को मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

विदुषां वशंवदः

Tejvir Singh

(तेजवीर सिंह)